

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जून 2015—ज्येष्ठ 16, शक 1937

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. एफ-12-15-2009-25-4.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के साहित्यकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों को राज्य स्तरीय 'संत कबीर पुरस्कार' नियम 2007 में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन करता है:—

1. जूरी में प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सदस्य के रूप में सम्मिलित करता है.
2. कंडिका 7 चयन के मापदण्ड में उपकंडिका (4) शासकीय एवं अर्धशासकीय वेतन भोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे, का विलोपन.
3. जूरी के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर यात्रा व्यय के अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि रु. 5000/- दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.